

प्रेषक,

आशीष तिवारी,  
विशेष सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)  
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन  
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार  
लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग—2

लखनऊ, दिनांक 08, मार्च 2017

विषयः—

जनपद हरदोई में सण्डीला—बालाऊ मार्ग एस०एच०—25 किमी० 202—203 के मध्य बांयी पटरी पर ग्राम—रैसो के खसरो संख्या—184 में एस्सार ऑयल लि० के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.06677 हेठो संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या—8बी/06/33/2016/एफसी/457, दिनांक 02—01—2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं पर की गयी आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। तत्काल में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या—1733/11सी—हरदोई/20978, दिनांक 17—2—2017 के द्वारा प्रस्ताव में की गयी आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2— विषयगत प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र दिनांक 17—2—2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये संशोधित प्रस्ताव की एक प्रति प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः— यथापरि।

भवदीय,

प्रिया  
(आशीष तिवारी)  
विशेष सचिव

संख्या—382(1)/14—2—2017—तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- 1— मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)  
अनु सचिव।